प्रेस–नोट

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासकीय आदेश संख्या संख्या 41ए/2015 दिनांकित 09.04.2015 के माध्यम से सरल पेटी अफेन्स फाईन डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत लघु प्रकृति के वादो मे धारा 206 (2) दं0प्र0सं0 के अधीन विशेष सम्मन जारी करने तथा सम्मन मे उल्लिखित धनराशि को पावर ज्योति एकाउन्ट मे अभियुक्तगण द्वारा जमा करने की योजना जारी की गयी है। इस सम्बन्ध मे लघु प्रकृति से सम्बन्धित वादो मे अभियुक्तगण सम्मन मे उल्लिखित धनराशि को सम्मन के साथ संलग्न चालान फार्म के माध्यम से पावर ज्योति एकाउन्ट मे जुर्माना जमा कर अपने वादों का निस्तारण बिना न्यायालय मे उपस्थित हुए करा सकते है। उक्त योजना के अन्तर्गत लघु प्रकृति के अपराधों मे अभियुक्त उक्त योजना का लाभ बिना न्यायालय मे उपस्थित हुए सीधे सम्मन मे उल्लिखित धनराशि को पावर ज्योति एकाउन्ट मे जमा कराकर उठा सकते है।

(धीरेन्द्र कुमार)
नोडल आफिसर,
सरल पेटी अफेन्स फाईन डिपाजिट स्कीम/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचम,
जौनपुर ।